न्यायालय परगनाधिकारी चान्दपुर

वाद सं0 6/16 T201613160245 75
मौजा–शुदनीपुर
एस0पी0एजुकेशनल सोसायटी प्रबन्धक राहुल बंसल वनाम

धारा 143 ज0 वि0 अधि0
परगना–चान्दपुर
सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही एस0पी0एजुकेशनल सोसायटी प्रबन्धक राहुल बंसल पुत्र सुरेन्द्र प्रकाश नि0 कस्बा चान्दपुर परगना चान्दपुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चांदपुर की आख्या अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधि0 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

तहसीलदार चान्दपुर के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 03.02.2016 में उल्लेख किया गया है । कि ग्राम शुदनीपुर परगना चान्दपुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर के खाता स0 128 खसरा न0272 क्षे0 0.266 हे0लगान 5–65 व खाता न0 09 खसरा न0 268 क्षे00.240 हे0 व खसरा न0 269 क्षे0 0.177 हे0 खसरा न0 173 क्षे0 0.101 हे0 कुल 3 खेत क्षेत्र 0.518 हे0 लगान 11–05 रू0 तथा खाता न0 10 खसरा न0 270 क्षे0 0.379हे0 खसरा न0 281क्षे0 0.746 हे0 खसरा न0 283 क्षे0 0.152 हे0 खसरा न0 284 क्षे0 0.063 हे0 खसरा न0 285 क्षे0 0.847हे0 खसरा न0 286 क्षे0 0.367हे0 कुल 6 खेत क्षे0 2.554 हे0 लगान 54–35 को अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहता है।

अतः ग्राम शुदनीपुर परगना चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर की खतौनी वर्ष 1418–1423 फ0 के खाता स0 128,09,10 के संक्रमणीय भूमिधर काबिज है वर्णित उपरोक्त सभी नम्बरान गाटा सं0 जोत चकबन्दी आकार पत्र –45 के अनुसार संक्रमणीय भूमिधर के खाते में रही है । तथा सीलिंग अथवा ग्राम समाज भूमि नही है उक्त भूमि पर कृषि कार्य मतस्य पालन, कुक्कुट पालन,वृक्षारोपण आदि का कार्य नही किया जा रहा है भूमि मौके पर खाली पड़ी है भूमि के चारों और की सीमाओं का सीमाकन हो चुका है तथा कोई सीमा सम्बन्धी विवाद नही है।

वादी की ओर से नकल फर्द खतौनी खसरा व नजरी नक्शा एंव सी0 एच0 45,41 शपथ पत्र दाखिल किये गये। नामिका वकील व अन्य किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी ।

वादी का कथन है कि ग्राम शुदनीपुर परगना चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता स0 128 खसरा न0272 क्षे0 0.266 हे0 व खाता न0 09 खसरा न0 268 क्षे00.240 हे0 व खसरा न0 269 क्षे0 0.177 हे0 खसरा न0 173 क्षे0 0.101 हे0 कुल 3 खेत क्षेत्र 0.518 हे0 लगान 11–05 रू0 तथा खाता न0 10 खसरा न0 270 क्षे0 0.379हे0 खसरा न0 281क्षे0 0.746 हे0 खसरा न0 283 क्षे0 0.152 हे0 खसरा न0 284 क्षे0 0.063 हे0 खसरा न0 285 क्षे0 0.847हे0 खसरा न0 286 क्षे0 0.367हे0 कुल 6 खेत क्षे0 2.554 हे0 लगान 54–35 को अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहता है मौके पर भूमि पर कृषि कार्य मतस्य पालन, कुक्कुट पालन,वृक्षारोपण आदि का कार्य नही किया जा रहा । उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैने पत्रावली का भलि–भांति अवलोकन किया एवं वादी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 03.02.2016 स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 03.02.2016 स्वीकार की जाती है। अत ग्राम शुदनीपुर परगना चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर खाता स0 128 खसरा न0272 क्षे0 0.266 हे0लगान 5–65 व खाता न0 09 खसरा न0 268 क्षे00.240 हे0 व खसरा न0 269 क्षे0 0.177 हे0 खसरा न0 173 क्षे0 0.101 हे0 कुल 3 खेत क्षेत्र 0.518 हे0 लगान 11–05 रू0 तथा खाता न0 10 खसरा न0 270 क्षे0 0.379हे0 खसरा न0 281क्षे0 0.746 हे0 खसरा न0 283 क्षे0 0.152 हे0 खसरा न0 284 क्षे0 0.063 हे0 खसरा न0 285 क्षे0 0.847हे0 खसरा न0 286 क्षे0 0.367हे0 कुल 6 खेत क्षे0 2.554 हे0 लगान 54–35 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदानुसार अमल दरामद दर्ज कागजात हो। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं उपनिबन्धक चान्दपुर को अनुपालानार्थ भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 08/7/16

राकेश कुमार
परगनाधिकारी चान्दपुर।

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

राकेश कुमार
परगनाधिकारी चान्दपुर।

दिनांक

सत्य प्रति
अहलमद / पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
चान्दपुर।